उत्तर प्रदेश शासन
नागरिक उड्डयन अनुभाग
संख्या: 06/2017/1534/छप्पन-2016-49/2010
लखनऊ: दिनांक : 03 जनवरी, 2017

<u>कार्यालय-ज्ञाप</u>

नागरिक उड्डयन विभाग, उत्तर प्रदेश के अधीन एयरोनॉटिकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, उ0प्र0, लखनऊ में कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1537/छप्पन-2010-26/08 टी0सी0, दिनांक 03.12.2010 के द्वारा डा0 जी0एम0 रहनुमा को प्रमुख व्याख्याता के पद पर नियत मासिक पारिश्रमिक रूपये 64,000/- (रूपये चौंसठ हजार मात्र) पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 01 वर्ष की अवधि के लिए संविदा पर नियुक्त किया गया था। इस परिप्रेक्ष्य में डा0 रहनुमा द्वारा दिनांक 10.12.2010 के पूर्वान्ह में अपना कार्यभार ग्रहण किया गया था, जिसकी अवधि दिनांक 09.12.2011 को समाप्त हो गयी थी। तदुपरान्त वर्षानुवर्ष इनकी संविदा अवधि बढ़ायी गयी है। अंतिम बार कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1713/छप्पन-2015-49/2010, दिनांक 12.01.2016 द्वारा डा0 रहनुमा की संविदा अवधि नियत मासिक पारिश्रमिक रूपये 1,14,992/- (रूपये एक लाख चौदह हजार नौ सौ बानवे मात्र) पर दिनांक 10.12.2015 से 01 वर्ष के लिए बढ़ाई गयी थी, जो दिनांक 09.12.2016 को समाप्त हो रही है। चूँकि निदेशक, एयरोनॉटिकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, उ0प्र0, लखनऊ ने अवगत कराया है कि डा0 जी0एम0 रहनुमा, प्रमुख व्याख्याता के पद पर निष्ठापूर्वक कार्य कर रहे है तथा डा0 रहनुमा द्वारा निदेशालय में अग्रेतर कार्य करने की इच्छा व्यक्त की गयी है। अतः सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदय डा0 जी0एम0 रहनुमा, प्रमुख व्याख्याता की संविदा अवधि दिनांक 10.12.2016 से आगामी 01 वर्ष (अर्थात 09.12.2017 तक) के लिए शासनादेश संख्या- 1422/छप्पन-2014-17/2014, दिनांक 09.09.2014 द्वारा अनुमन्य नियत मासिक पारिश्रमिक एवं अनुमन्य वार्षिक पारिश्रमिक वृद्धि पर बढ़ाये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- डा0 जी0एम0 रहनुमा को उक्त संविदा अवधि में उपर्युक्त नियत मासिक पारिश्रमिक के अतिरिक्त अन्य कोई भत्ते देय नहीं होंगे। उपर्युक्त शर्तों के अधीन रहते हुए उन पर संविदा सेवा अवधि में अन्य शर्तें वही लागू होंगी, जो अस्थायी कर्मचारियों पर लागू होती हैं और वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-2, भाग-2 के सहायक नियम 157-ए तथा तत्सम्बन्धी शासनादेशों के अन्तर्गत उन्हें अस्थायी राज्य कर्मचारियों की भाँति अवकाश देय होगा।

3- डा0 जी0एम0 रहनुमा से संविदा पर नियुक्ति के सम्बन्ध में निर्धारित प्रपत्र पर पुनः अनुबन्ध-पत्र निष्पादित कराकर शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

(एस0के0 रघुवंशी)
सचिव।

डा0 जी0एम0 रहनुमा, (संविदा)
प्रमुख व्याख्याता,
एयरोनॉटिकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट,
नागरिक उड्डयन निदेशालय,
उ0प्र0, लखनऊ एयरपोर्ट, लखनऊ।

-----2

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या: 06/2017/1534(1)/छप्पन-16-तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- निदेशक, एयरोनॉटिकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, उ0प्र0 लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि डा0 जी0एम0 रहनुमा से निर्धारित प्रपत्र पर पुनः अनुबन्ध पत्र निष्पादित कराकर शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

2- महालेखाकार-प्रथम (आडिट/लेखा), उ0प्र0, इलाहाबाद।

3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।

4- वित्त नियंत्रक, नागरिक उड्डयन निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ एयरपोर्ट, लखनऊ।

5- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7

6- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2

7- कार्मिक अनुभाग-1

8- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(डा0 सत्य प्रकाश तिवारी)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।